न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 95 / 2021

वादीगण		प्रतिवादी
1 वालाराम 2 गुमनाराम पिसरान चौखाराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चौखाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 10/09/21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, देराजराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा डूंगेरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 571 / 328 रकबा 142.09 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता देराजराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 चौखाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 चौखाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी चौखाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 चौखाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 वालाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 वालाराम द्वारा शपथ पत्र में कथन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद ग्रस्त खेतों की जमाबन्दियां व नामान्तकरण प्रस्तुत किये है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–2 है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित होने से खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी चौखाराम द्वारा अपने बयानों में वाद कथन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी चौखाराम के साथ वादीगण को खातेदार घोषित करने पर कोई आपति नही होना प्रकट किया।

...यक कलक्टर
...ट ट्रेक) बाड़मेर

D:\...\Lalit Ji Joshi\Fast Track Order\ORDER 88 FT.docx

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी चौखाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि माफिक इकबाली जवाब एवं बयान प्रतिवादी, वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण तथा जमाबन्दी एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण, प्रतिवादी चौखाराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगेरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 571/328 रकबा 142.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी चौखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक ..10|09|21.. को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादी
1 वालाराम 2 गुमनाराम पिसरान चौखाराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 चौखाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 95 / 2021

निर्णय दिनांक :– 10.09.21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.09.21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगेरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 571 / 328 रकबा 142.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी चौखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1 / 3–1 / 3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 10.09.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	